ग्रेटर टिपरालैंड की मांग: त्रिपुरा

प्रिलिम्स के लिये:

त्रिपुरा, केंद्र राज्य संबंध, अलग राज्य की मांग

मेन्स के लिये:

अलग राज्य के लिये संवैधानिक प्रावधान, त्रिपुरा में अलग राज्य की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रिपुरा के **इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) राजनीतिक दल के प्रमुख सचिव** ने पूरी तरह से अलग राज्य "ग्रेटर टिपरालैंड" की मांग को उठाने के लिये जंतर मंतर, नई दिल्ली में दो दिवसीय धरने का नेतृत्व करने का निर्णय लिया है।

- **इसका उद्देश्य राज्य में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करना है।**

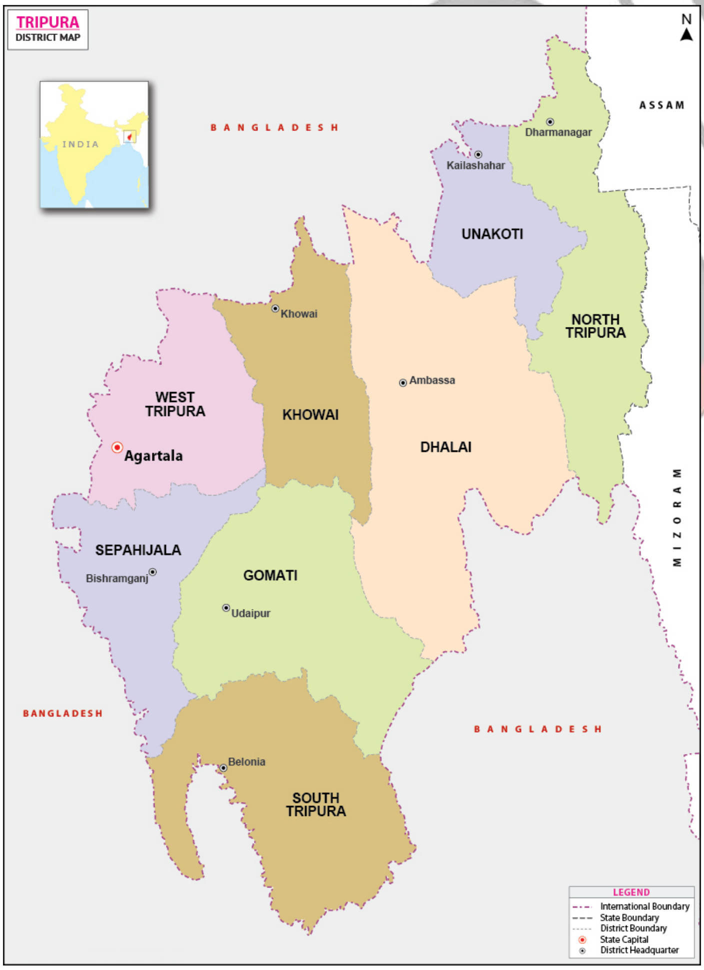

प्रमुख बिंदु

- **मांग:**
  - यह पार्टी पूर्वोत्तर राज्य के मूल समुदायों के लिये **'ग्रेटर तिपरालैंड' के रूप में एक अलग राज्य की मांग कर रही है।**
  - उनकी मांग है कि केंद्र **संविधान** के **अनुच्छेद 2 और 3** के तहत अलग राज्य बनाए।
    - त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों **में त्रिपुरी** (तिप्रा और टिपरास) सबसे बड़ी है।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में कम-से-कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं, इसके बाद **ब्रू या रियांग** (1.88 लाख) और जमातिया (83,000) हैं।
  - वह न केवल मूल निवासियों के लिये बल्कि त्रिपुरा **जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council- TTAADC)** क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के लिये भी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - त्रिपुरा 13 वीं शताब्दी के अंत से **वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने तक माणिक्य वंश द्वारा शासित एक राज्य था।**
  - यह मांग राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के संबंध में **स्थानीय समुदायों की चिंता से उपजी है जिसने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया है।**
  - यह वर्ष **1947 से वर्ष 1971 के मध्य तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के कारण हुआ।**
  - त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष **1881 के 63.77%** से घटकर वर्ष **2011 तक 31.80%** हो गई थी।
  - बीच के दशकों में **जातीय संघर्ष और उग्रवाद** ने राज्य को जकड़ लिया जो **बांग्लादेश के साथ लगभग 860 किलोमीटर** लंबी सीमा साझा करता है।
  - संयुक्त मंच ने यह भी बताया है कि **स्थानीय लोगों को न केवल अल्पसंख्यक में बदल** दिया गया है, बल्कि **माणिक्य वंश के अंतिम राजा बीर बिक्रम किशोर देबबर्मन** द्वारा उनके लिये आरक्षित भूमि से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर की अन्य मांगें:

- **ग्रेटर नगालिम** (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्याँमार के हिस्से)
- **बोडोलैंड** (असम)
- **जनजातीय स्वायत्तता मेघालय**

संसद के पास एक नया राज्य बनाने की शक्तियाँ:

- **संसद** को भारत के संविधान के **अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3** से एक नया राज्य बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- **अनुच्छेद 2:**
  - संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है, जो वह ठीक समझे।
  - हालाँकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना सकती है, यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया।
- **अनुच्छेद 3:**
  - इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

इस मुद्दे के समाधान के लिये पहल:

- **त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद:**
  - त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र **स्वायत्त ज़िला परिषद** (The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council- TTAADC) का गठन वर्ष 1985 में **संविधान की छठी अनुसूची** के तहत आदिवासी समुदायों के अधिकारों एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और विकास सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।
    - **'ग्रेटर टिपरालैंड'** एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जिसमें संपूर्ण TTAADC क्षेत्र एक अलग राज्य होगा। **यह त्रिपुरा के बाहर रहने वाले लोगों और अन्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये** समर्पित निकायों का भी प्रस्ताव करता है।
  - TTAADC, जिसके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, **राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है।**
  - परिषद में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 28 निर्वाचित होते हैं जबकि दो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
- **आरक्षण:**
  - साथ ही राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से **20 अनुसूचित जनजाति के** लिये **आरक्षित** हैं।

आगे की राह

- राजनीतिक विचारों के बजाय **आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता** को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- निरंकुश मांगों की जाँच के लिये कुछ **स्पष्ट मानदंड और सुरक्षा उपाय होने चाहिये।**

- धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय विकास, विकेंद्रीकरण और शासन जैसी **लोकतांत्रिक चिंताओं को** नए राज्य की मांगों को स्वीकार करने के लिये वैध आधार देना बेहतर है।
- इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं जैसे- सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान किया जाना चाहिये।

सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/greater-tipraland-demand-of-tripura